संयुक्त राष्ट्र चार्टर एवं मानव अधिकार

प्रथम विश्वयुद्ध को खत्म हुए अभी दो दशक ही गुजरे थे कि सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया। यूरोपीय महाद्वीप से प्रारंभ हुआ यह युद्ध धीरे–धीरे समूचे विश्व में फैल गया। जर्मनी द्वारा हॉलैण्ड पर आक्रमण के साथ यह प्रारंभ हुआ तथा

Scanned by CamScanner

इसकी समाप्ति सन् 1945 में हुई।

द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को झेलने के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने आने वाली पीढ़ीयों को युद्ध की मार से बचाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था के गठन की आवश्यकता महसूस की और इस दिशा में प्रयास आरंभ किया।

सन् 1944 में ओक्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु विचार किया गया तथा इनके परिपालन में सन् 1945 में अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मानव अधिकारों की स्थापना तथा इनके संर्वधन हेतु विचार किया गया।

26 जून 1945 को 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर दस्तखत कर इसे स्वीकृती प्रदान की। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विधिवत रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्ध के कारणों तथा इसके तथ्यों पर विचार कर कार्य करना प्रारंभ किया गया। संघ के सदस्यों द्वारा यह पाया गया कि युद्ध की विभिषीका का उन्मूलन करने में अतर्राष्ट्रीय समुदाय को अनिवार्यतः सहयोग करना चाहिए। सदस्य राज्यों ने यह निश्चय किया की मानव अधिकारों में अभिवृद्धि तथा इस हेतु सम्मान पैदा करने का दायित्व संयुक्त राष्ट्र का होगा।

मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार्टर द्वारा अपने उद्देश्य को निम्न प्रकार प्रकाशित किया गया है–

हम, संयुक्त राष्ट्र के लोग

आने वाली पीढ़ीयों की युद्ध की ज्वाला से रक्षा करने के लिए, जिसके कारण मानव जाति का हमारे जीवनकाल में दो बार अकथनीय दुःख भोगना पड़ा है, और मूल मानव अधिकारों के प्रति, मानव की गरिमा और महत्व के प्रति, पुरूषों और स्त्रियों तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों के प्रति निष्ठा को पुनः

Scanned by CamScanner

ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए जिनके अधीन संधियों और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्त्रोतों से अद्भूत होने वाले दायित्वों के प्रति न्याय और सम्मान बनाए रखा जा सके, और

व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की अभिवृद्धि के लिए दृढ़ निश्चय करके, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए

सहिष्णुता का आचरण करने और अच्छे पड़ोसियों की भाँति एक–दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहने के लिए, और

अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी शक्तियों को एक करने के लिए, और

ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करने और ऐसी पद्धतियाँ प्रतिस्थापित करके यह सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र बल का प्रयोग सामान्य हित में ही किया जाय, अन्यथा नहीं, और

सभी राष्ट्रों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की अभिवृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तंत्र का उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चय करके यह संकल्प करते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे।

तद्नुसार, हमारी अपनी–अपनी सरकारों ने, सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित उन प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिन्होंने अपने पूर्ण अधिकार–पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें ठीक और सही पाया गया है, संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर को सहमति दे दी है और वे इसके द्वारा "संयुक्त राष्ट्र" नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करती है।[16]

इस प्रकार प्रस्तावना में मानवाधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं की रक्षा हेतु प्रावधान किये गये है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद है। 'इस चार्टर की 6 विभिन्न धाराओं में मानवाधिकारों की रक्षा की चर्चा की गई है।

Scanned by CamScanner

(i) चार्टर की प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरूष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया है।

(ii) अनुच्छेद–1 के अनुसार चार्टर का उद्देश्य मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना है।

(iii) अनुच्छेद 13 में महासभा के द्वारा जाति, लिंग, भाषा या धर्म भेदभाव के बिना सभी को मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था है।

(iv) अनुच्छेद 55 में यह प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्र संघ "जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापी आदर तथा उनके पालन को सम्मिलित करेगा।

(v) अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि सभी सदस्य राज्य मानवाधिकारों तथा मानव स्वतंत्रताओं की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र को अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

(vi) अनुच्छेद 62 के अन्तर्गत आर्थिक और सामाजिक परिषद् के द्वारा सभी के लिए मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने तथा उनके पालन के सम्बन्ध में सिफारिश करने की व्यवस्था है।[17]

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर ने मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि सिद्धांतों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार्टर के द्वारा मानवाधिकारों को सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित किया गया।

अब तक जो मानवीय मूल्य क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित थे अब वे पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो गये थे। चार्टर के द्वारा मानवाधिकारों की संकल्पना का सार्वभौमिकीकरण तथा अतंर्राष्ट्रीयकरण किया गया।

Scanned by CamScanner

चार्टर के उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति किया गया व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है। यद्यपि चार्टर सभी को मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रदान करने का कोई सार्वभौमिक करार नहीं था, फिर भी, वर्तमान समय में, इस दृष्टि से कोई भी असहमति नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के मूलभूत सिद्धांतों में से एक बन गये हैं।[18]

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 68 के अधीन यह परिषद् मानवाधिकारों के विकास के लिए आयोग और ऐसे अन्य आयोगों को स्थापित कर सकती है, जिसकी परिषद के कार्यों का पालन करने के लिये आवश्यकता हो। परिषद द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई जिसे महासभा द्वारा 12 फरवरी 1946 को अनुमोदित किया गया इस तरह 1946 कें प्रारम्भ में ''मानवाधिकार आयोग'' की स्थापना की गई। इसके 18 सदस्य थे जिनकी नियुक्ति एक परिषद द्वारा की जाती है। प्रत्येक सदस्य राज्य अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है।[19]

Scanned by CamScanner